बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या : 09/विविध–10/2017 .... /श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से दो या दो वर्ष से अधिक अवधि के व्यावसायों के प्रशिक्षणार्थियों को 10वीं एवं 12वीं के समकक्ष मान्यता एवं संकाय निर्धारण का प्रस्ताव विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित दो वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) द्वारा दिया जाता है को 10वीं एवं 12वीं की समकक्ष निम्न शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :–

1. कक्षा 10वीं की समकक्षता :–
   (i) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
   (ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा तथा आई0टी0आई0 की परीक्षा सम्मिलित रूप से उतीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई0टी0आई0 के उतीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उतीर्ण की हैं।
   (iii) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उतीर्ण (आदेश के पूर्व एवं पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 10वीं की समकक्षता हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उतीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
2. कक्षा 12वीं की समकक्षता :–
   (i) कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

E:\Sec.Edu\Office Order-R.85

(ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा तथा आई0टी0आई0 की परीक्षा सम्मिलित रूप से उतीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई0टी0आई0 के उतीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उतीर्ण की है।

(iii) कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) / स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उतीर्ण (आदेश के पूर्व एवं पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उतीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

3. <u>संकाय निर्धारण :–</u>

उक्त सभी बिन्दुओं में वर्णित शर्त्तों को पूर्ण करने के उपरान्त उच्च शिक्षा एवं अन्य उद्देश्य हेतु बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों को विज्ञान संकाय (गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र) से उतीर्ण छात्र माना जायेगा। बारहवीं की समकक्षता प्राणिशास्त्र / वनस्पतिशास्त्र अथवा कृषि संकाय के लिए नहीं होगी।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव।
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09 / विविध–10 / 2017 ....342 पटना, दिनांक ...9/7/2018...

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निजी सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रभारी पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.7.18
सरकार के उप सचिव।
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

C:\Sec Edu\Office Order-R.86